27-10-2020	पत्रावली प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड जमाबंदी एवं तहसीलदार लालसोट द्वारा ग्राम डिडवाना के ख0नं0 2111/1 रकबा 4 बिस्वा नवीन ख0नं0 4334/2111 की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24-01-2006 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र कजोडमल ब्राह्मण निवासी डिडवाना तह0 लालसोट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 4334/2111 रकबा 4 बिस्वा ग्राम डिडवाना की पत्थरगढी करवाने हेतू एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956 पेश किया गया जिसमे पूर्व मे किये गये सीमाज्ञान की प्रति पेश की। जो शामिल पत्रावली हैं। मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट यदि भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थर गढी करवायी जाती है तो प्रार्थी का सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो जायेगा। अतः प्रार्थी रामस्वरूप की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं। जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24-01-2006 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की पत्थर गढी करवायी जावें। यदि आवश्यक हो तो प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि. 03-03-16 के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट 04-03-16 के अनुसार भूमि का पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थर गढी कायम की जावें। नियमानुसार पुलिस जाप्ता प्राप्त करें। तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज.	